3. वेतन :-- वेतन मैट्रिक्स लेवल -- 04 (5200-20200 ग्रेडवेतन 1900)

सीधी भर्ती के पदों पर चयनित समस्त वनरक्षकों को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियमानुसार स्टायपेण्ड देय होगा—

प्रथम वर्ष – मूल वेतन 19500/– का 70 प्रतिशत एवं देय अन्य भत्ते

- द्वितीय वर्ष मूल वेतन 19500/– का 80 प्रतिशत एवं देय अन्य भत्ते
- तृतीय वर्ष मूल वेतन 19500/– का 90 प्रतिशत एवं देय अन्य भत्ते

4.शारीरिक अर्हता –

(अ) वनरक्षक के पद के लिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगा :--

शारीरिक प्रमाप	पुरूष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
ऊंचाई		
अनुसूचित जनजाति हेतु	152 से.मी.	145 से.मी.
अन्य	163 से.मी.	150 से.मी.
सीना सामान्य (समस्त वर्ग)	79 से.मी. (न्यूनतम)	_
सीने का फुलाव (समस्त वर्ग)	05 से.मी. (न्यूनतम)	-

टीप — 1. छ.ग. के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को सीने के फुलाने संबंधित शर्तो को शिथिल किया जायेगा। 2. महिला अभ्यर्थियों की सीना माप∕सीने फुलाव को मुक्त रखा गया है।

5. चयन प्रक्रिया – आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार शारीरिक नापजोख हेतु बुलाया जावेगा। शारीरिक अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जावेगा, जिसके लिए तिथि एवं स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक से विभागीय वेबसाइट पर दी जावेगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) कुल 100 अंको की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) का विवरण निम्नानुसार है –

क.	200 मीटर दौड़	-	25 अंक
ख.	800 मीटर दौड़		25 अंक
ग.	लंबी कूद	-	25 अंक
घ.	गोला फेंक		25 अंक

आइटम 'क' से 'घ' तक की स्पर्धा के लिए दिये जाने वाले अंकों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :--

प्रतिस्पर्धा	पुरूषों के लिए समय∕नाप	अंक	महिलाओं के लिए समय/नाप	अंक
200 मीटर दौड़	24.50 सेकण्ड या कम	25	28.50 सेकण्ड या कम	25
(1 प्रयास)	24.51 सेकण्ड से 25.50 सेकण्ड तक	20	28.51 सेकण्ड से 30.00 सेकण्ड तक	20
	25.51 सेकण्ड से 27.00 सेकण्ड तक	15	30.01 सेकण्ड से 31.50 सेकण्ड तक	15
	27.01 सेकण्ड से 28.50 सेकण्ड तक	10	31.51 सेकण्ड से 33.00 सेकण्ड तक	10
	28.51 सेकण्ड से 30.00 सेकण्ड तक	5	33.01 सेकण्ड से 34.50 सेकण्ड तक	5
	30.01 सेकण्ड या अधिक	0	34.51 सेकण्ड या अधिक	0

https://www.freshersnow.com/syllabus/

800 मीटर दौड़	2 मिनट 10 सेकण्ड या कम	25	3 मिनट या कम	25
(1 प्रयास)	2 मिनट 10.01 सेकण्ड से 2 मिनट 20 सेकण्ड तक	20	3 मिनट 0.01 सेकण्ड से 3 मिनट 10 सेकण्ड तक	20
	2 मिनट 20.01 सेकण्ड से 2 मिनट 30 सेकण्ड तक	15	3 मिनट 10.01 सेकण्ड से 3 मिनट 25 सेकण्ड तक	15
	2 मिनट 30.01 सेकण्ड से 2 मिनट 45 सेकण्ड तक	10	3 मिनट 25.01 सेकण्ड से 3 मिनट 40 सेकण्ड तक	10
	2 मिनट 45.01 सेकण्ड से 3 मिनट तक	5	3 मिनट 40.01 सेकण्ड से 4 मिनट तक	5
	3 मिनट 00.01 सेकण्ड या अधिक	0	4 मिनट 00.01 सेकण्ड या अधिक	0
लंबी कूद	5.50 मीटर या अधिक	25	4.25 मीटर या अधिक	25
(3 प्रयास)	5.25 मीटर से 5.49 मीटर तक	20	4 मीटर से 4.24 मीटर तक	20
	4.75 मीटर से 5.24 मीटर तक	15	3.50 मीटर से 3.99 मीटर तक	15
	4.25 मीटर से 4.74 मीटर तक	10	3 मीटर से 3.49 मीटर तक	10
	3.75 मीटर से 4.24 मीटर तक	5	2.50 मीटर से 2.99 मीटर तक	5
	00 मीटर से 3.74 मीटर तक	0	00 मीटर से 2.49 मीटर तक	0
गोला फेंक	9 मीटर या अधिक	25	8 मीटर या अधिक	25
गोले का वजन—	8 मीटर से 8.99 मीटर तक	20	7 मीटर से 7.99 मीटर तक	20
पुरूष–7.62	7 मीटर से 7.99 मीटर तक	15	6 मीटर से 6.99 मीटर तक	15
किलो	6 मीटर से 6.99 मीटर तक	10	5 मीटर से 5.99 मीटर तक	10
महिला—4 किलो	5 मीटर से 5.99 मीटर तक	5	4 मीटर से 4.99 मीटर तक	5
(3 प्रयास)	00 मीटर से 4.99 मीटर तक	0	00 मीटर से 3.99 मीटर तक	0

शारीरिक दक्षता में कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी तथा 50 प्रतिशत अंक

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य है। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका तत्काल निराकरण किया जायेगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में कराया जायेगा। रात्रि अथवा कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा नहीं कराई जायेगी। शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में एकरूपता तथा पारदर्शिता के लिये बहुउद्देशीय कार्ड का प्रारूप एवं नमूना विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

6. लिखित परीक्षा :- शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) जाति/ वर्गवार तैयार की जायेगी, तथा इस लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुणा आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुणा से अधिक हो जाये। लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर अथवा राज्य शासन द्वारा नियुक्त/अधिकृत अन्य एजेंसी के द्वारा कराया जायेगा।

लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 02 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जायेंगे, जो वस्तुनिष्ट प्रकार के होंगे।

- 7. बोनस अंक :— उम्मीदवारों को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 05 बोनस अंक दिये जायेंगे | विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 अंक से अधिक नहीं होंगे |
 - (क) एन.सी.सी. का ''सी'' सर्टिफिकेट का न्यूनतम बी-ग्रेड का प्रमाणपत्रधारी।

- (ख) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता केवल ओलंपिक एवं एशियाई खेलों की सूची में शामिल खेलों की अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, कि
- (i) टीम स्पर्धा में केवल विजेता एवं उप विजेता एवं
- (ii) व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को ही बोनस अंक की पात्रता होगी।
- 8. चयन सूची :- शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक, लिखित परीक्षा 100 अंक एवं बोनस अंक 10 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।
- 9. पैदल चालनः— प्रावीण्य सूची के उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। पुरूष उम्मीदवारों को 04 घंटे में 25 किमी तथा महिला उम्मीदवारों को 04 घंटे में 14 किमी. की दूरी पूर्ण करने होगी। इस परीक्षा के लिये कोई अंक नहीं होंगे। लेकिन निर्धारित समयावधि में दूरी पूर्ण नहीं करने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 10. नियम तथा शर्ते—
 - (1) आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का मूल स्थानीय निवासी होना मान्य किया जायेगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
 - (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा के उम्मीदवारों को जाति संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हों।
 - (3) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु (पुरूष हेतु 21 वर्ष एवं महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
 - (4) चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जायेगा।
 - (5) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण– पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा विचारणीय नहीं होगा।
 - (6) कोई भी उम्मीदवार जिसके पास एन.सी.सी. ''सी'' सर्टिफिकेट (न्यूनतम बी ग्रेड) एवं खेलकूद में निर्धारित प्रवीणता प्रमाण–पत्र हों तो उसकी स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करें।
 - (7) आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र स्व– प्रमाणित करें।
 - (8) किसी प्रवर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर वह पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा।
 - (09) किसी प्रवर्ग में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर वह पद उसी प्रवर्ग के उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा, जिस प्रवर्ग के लिए पद आरक्षित है।
 - (10) प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन उपरांत पात्रता/अपात्रता का निर्धारण किया जाकर, प्रत्येक नोडल वनमंडल द्वारा 10 दिवस के भीतर दावा–आपत्ति प्राप्त की जावेगी। दावा आपत्ति हेतु 10 दिन का समय, तिथि सहित दिया जावेगा।
 - (11) शारीरिक नापजोख, दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर निर्धारित केन्द्र/स्थल तक जाना होगा। इसके लिये कोई यात्रा भत्ता व्यय देय नहीं होगा।
 - (12) चयन/नियुक्ति उपरांत यदि किसी अभ्यर्थी का, कोई भी प्रमाण पत्र यथा— जाति, निवास, शैक्षणिक या अन्य प्रमाण पत्र असत्य/फर्जी पायी जाती है तो बिना सुनवाई के एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये चयन/नियुक्ति निरस्त की जा

सकेगी, साथ ही वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(13) भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र संचालनालय, सैनिक कल्याण बोर्ड, कचहरी परिसर, होमगार्ड कार्यालय के पीछे रायपुर छत्तीसगढ़ से सत्यापित करायी जायेगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक अन्तीसगढ़, नवा रायपुर